Title : Need to provide free education up to class 12th to children belonging to EWS category-laid

प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ (मुम्बई उत्तर-मध्य) : निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के छात्रों को कक्षा 8 तक निशुल्क शिक्षा का प्रावधान है । वर्ष 2013-14 में कई गरीब छात्रों ने प्रतिष्ठित निजी विद्यालयों में प्रवेश लिया था और उन्होंने इस योजना के तहत शिक्षा प्राप्त की । परंतु अब जब ये छात्र कक्षा 9 में पहुंचे हैं, तो स्कूलों द्वारा उनके माता-पिता से पूरी फीस जमा करने की मांग की जा रही है । कई माता-पिता आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और भारी भरकम स्कूल फीस देने में असमर्थ हैं । परिणामस्वरूप, स्कूलों द्वारा छात्रों का नामांकन रद्द करने का दबाव बनाया जा रहा है, जिससे उनके शैक्षणिक भविष्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है । कुछ छात्रों को अन्य विद्यालयों में स्थानांतरित होना पड़ रहा है, जिससे उनका मानसिक और शैक्षणिक विकास बाधित हो रहा है । अतः मैं केंद्र सरकार से मांग करती हूँ कि आरटीई अधिनियम में संशोधन कर गरीब छात्रों को कक्षा 12 तक निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए । साथ ही, सरकार सभी आरटीई मान्यता प्राप्त विद्यालयों को इन छात्रों के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए ।